

**THE UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY ACT,
1999****[U.P. Act No. 10 of 1999]**

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

**AN
ACT**

to provide for the establishment of an Open University in Uttar Pradesh for the introduction and promotion of distance education systems and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:-

Chapter I**Preliminary**

- | | |
|------------------------------|--|
| Short title and commencement | 1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act, 1999. |
| | (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf. |
| Definitions | 2- In this Act :- <ul style="list-style-type: none"> (a) "Academic Council" and "Executive council" mean respectively the Academic Council, and the Executive Council of the University; (b) "Board of Recognition" means the Board of Recognition of the University; (c) "College" means a college or other academic Institution established or maintained by or admitted to the Privileges of the University; (d) "distance education systems" means the systems of imparting education through any means of communication, such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminars, contact programmes or the combination of any two or more of such means; (e) "Finance committee" means the Finance Committee of the University; (f) "other backward classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time; (g) "Planning Board" means the Planning Board of the University; (h) "prescribed" means prescribed by the Statutes; (i) "school" means a school of studies of the University; (j) "Statutes", "Ordinance" and "Regulations" means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University; (k) "student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University; (l) "study centre" means a centre established, maintained or recognised by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students; |

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
3-5]

[Section

(m) "teacher" means a person employed for imparting instruction in the University for giving guidance or rendering assistance to students for pursuing any, course of study of the University and includes a Principal or Director of a College;

(n) "University" means the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University established under section 3.

Chapter II

The University and its Objects

Establishment and incorporation of the University	3-	(1) There shall be established a University by the name of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University.
State as		(2) The head quarters of the University shall be at Allahabad and it may establish for maintain colleges or study centers at such other places in the it may deem fit.
		(3) The Chancellor, Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and the academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University.
The objects of University shall, schedule.	4-	The University shall promote dissemination of learning and knowledge the through distance education systems to a larger segment of the population and in organizing its activities, have due regard to the objects specified in the
Powers of the University	5-	The University shall have the following powers; namely :- (i) to provide fur instruction in such branches of knowledge, technology, vocations and professions as the University may determine from time to time and to make provision for research; (ii) to plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas, certificates or for any other purpose; (iii) to hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates or other academic distinction or recognitions on persons who have pursued a course of study or conducted research in the manner laid down by the Statutes and Ordinances; (iv) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed; (v) to determine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized; (vi) to institute professorships, readerships, lectureships and other academic positions necessary for imparting instructions or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guidance, designing and delivery of course and evaluation of the were done by the students, and to appoint persons to such professorships, readerships, lectureships and other academic positions; (vii) to co-operate with, and seek the co-operation of other universities and institutions of higher learning, professional bodies and, organizations for such purposes as the University considers necessary;
[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]		
[Section 5]		
		(viii) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit;
		(ix) to establish and maintain such regional centers as may be determined by the University from time to time;
		(x) to establish, maintain or recognize Study Centers in the manner prescribed;

(xi) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes tapes, video cassettes and other softwares;

(xii) to organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;

(xiii) to recognise examinations of or periods of study, whether in full or part, at other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any times;

(xiv) to make provision for research and development in educational technology and related matters;

(xv) to create administrative ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(xvi) to receive benefactions donations and gifts and to acquire, hold, maintain and dispose of any property movable or immovable, including trust and Government property, for the purposes of the University;

(xvii) to borrow, with the approval of the State Government whether on the security of the property of the University or otherwise, money for the purposes of University;

(xviii) to enter into, carry out, vary or cancel contracts;

(xix) to demand and receive such fees and other charges as may be laid down by the Ordinances;

(xx) to provide, control and maintain discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their codes of conduct;

(xxi) to recognise any institution of higher learning or studies for such purposes as the University may determine and to withdraw such recognition;

(xxii) to appoint either on contract or otherwise Visiting Professors, Emeritus Professors consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(xxiii) to recognise persons working in other Universities, Institutions or organisations as teachers of the University on such terms and conditions as may be laid down by the Ordinances;

(xxiv) to specify conditions for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other method of testing;

(xxv) to make arrangements for the promotion of the general health and welfare of the employees;

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
6-8]

[Section

(xxvi) to confer autonomous status on a college or a regional centre in the manner prescribed;

(xxvii) to admit to its privileges any college in the State subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that no college shall be to admitted except with the prior approval of the Chancellor;

(xxviii) to do all such acts as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the objects of the University.

- Territorial exercise of the powers
- 6- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall in the exercise of its powers have Jurisdiction over whole of Uttar Pradesh.
- University open to all any class and him creeds
- 7- (1) The University shall be open to persons of either sex irrespective of class or creed, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle
- therein or
- to be appointed as a teacher of the University, or to hold any other office admitted as a student in the University or to graduate there, at, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

CHAPTER-III

Inspection and Inquiry

- Visitation
- 8- (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the University or any college or study centre maintained by the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such college or study
- centre or
- to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such college or such centers.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such:

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or action behalf of the University at such inspection or inquiry.

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]

[Section 9]

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and any proceeding before him or them shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If authorities of the University do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which such authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the authorities of the Universities shall comply with such the directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

(8) Without prejudice to the provisions of sub-section (6), if the Chancellor on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation, order that in supersession of the said Executive Council, an *ad-hoc* Executive Council, consisting of the Vice-Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as the Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Executive Council, shall, for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify, exercise and perform all the powers and functions of the Executive Council under this Act.

(9) Upon an order being made under sub-section (8) the term of office of all members of the Executive Council superseded thereby, including *ex-officio* members shall cease and all such members shall vacate their offices as such.

CHAPTER-IV

Officers of the University

Officers of the 9-
University : University

The following shall be the officers of the

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Pro-Vice-Chancellor;
- (d) the Directors;
- (e) the Registrar;
- (f) the Finance Officer;

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
10-11]

[Section

(g) the Examination Controller, and

(h) such other Officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The
Chancellor
any

10- (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall when present, preside at convocation of the University.

(2) Every proposal the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the statutes.

The Vice-Chancellor terms

11- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner, for such and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University, and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to other decision, of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any officer or authority of the University by or under this Act and shall report to such officer or authority the action taken by him on such matter:

Provided that if the officer or authority concerned of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, Statutes or Ordinances or that any decision taken is not in the interests of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review its decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that the decision of the authority concerned shall remained suspended during the period of review of such decision by the authority or the Chancellor as the case may be, under this sub-section.

(5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
18]

[Section 12-

The Pro-Vice-Chancellor exercise

12- The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall such powers and perform such functions, as may be prescribed.

The Director

13- Every Director shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

The Registrar

14- (1) The Registrar shall be appointed by the Stale Government in such manner on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

- The Finance officer exercise 15- (1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- (2) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.
- Examination Government controller service, and shall 16- (1) The Examination controller shall be appointed by the State in such manner, on such emoluments and other conditions of exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- (2) When, for any reason, the office of the Examination Controller is vacant, all the powers and functions of the Examination Controller shall be performed by the Registrar or by such other persons as may be appointed by the Executive Council.
- Other officers 17- The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers or the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-V

Authorities of the University

- Authorities of University :- 18- The following shall be authorities of the University

- (a) the Executive Council;
- (b) the Academic Council;
- (c) the Planning Board;
- (d) the Board of Recognition;
- (e) the Schools of studies;
- (f) the Finance Committee;
- (g) the Examination Committee; and
- (h) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
19-26]

[Section

- The Executive 19- (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the Council University.
- (2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
- Academic 20- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the Council University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, have the control and general regulation of, and be responsible for maintenance of standard of learning, education, instruction, evaluation and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.
- (2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.
- The Planning Board for the 21- (1) There shall be constituted a Planning Board of the University which shall be the principal planning body of the University and shall also be responsible the monitoring of the developments of the University on the lines indicated in objects of the University.
- (2) The Constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Board of Recognition	22-	(1) The Board of Recognition shall be responsible for admitting Colleges and other Institution to the privileges of the University. (2) The constitution and the other powers and functions of the Board of Recognition shall be such as may be prescribed.
The Schools of studies	23-	(1) There shall be such number of schools of Studies as the University may determine from time to time. (2) The constitution, powers and functions of the schools of studies shall be such as may be prescribed.
The Finance Committee	24-	The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.
Other Authorities be	25-	The constitution, powers and functions or the other authorities which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may prescribed.

CHAPTER-VI

Statutes, Ordinances and Regulations

Statutes	26-	Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for :-
----------	-----	--

(a) the manner of appointment of Vice-Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;

(b) the manner of appointment of Pro-Vice-Chancellor, Directors, Registrar, Examination controller, the Finance Officer and other officers, the emoluments and other conditions of their service and the powers and function that may be exercised and performed by each of such officer;

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
27]

[Section

(c) the constitution of the Executive Council and other authorities of the University, the terms of office of the members of such authorities and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities.

(d) the appointment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;

(e) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(f) the principles governing the seniority of service, of the teachers and other employees of the University;

(g) the procedure in relation to any appeal or application for review by any teacher, employee or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;

(h) the procedure for the settlement of disputes between the teachers, employees or students of the University, and the University;

(i) the allocation and disbursement of grants to colleges and other institutions;

(j) the conditions that are required to be fulfilled for admission of the colleges to the privileges of the University;

(k) all other matters which by this Act are to be, or may be, provided for by the Statutes.

Statutes how made	27- (1) The first statutes of the University shall be made by the State Government by notification. (2) The Executive Council may from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1): Provided that the Executive Council shall not make, amend, or repeal any Statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed has been considered by the Executive Council. (3) Every new Statute or addition to a statute or any amendment or repeal of statute shall be submitted to the Chancellor, who may assent to it or withhold his assent thereon or remit it to the Executive Council for further consideration. (4) A new Statute or a statute amending or repealing an existing statute shall not be valid unless it has been assented to by the Chancellor. (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) during the period of three years from the commencement of this Act.
[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]	[Section 28-31]
Ordinances may	(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the State Government may direct the Executive Council to make provision in the Statutes in respect of any matter specified by it, and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the State Government may, with the assent of the Chancellor, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably. 28- (1) Subject to the provision of this Act and the Statutes, the Ordinances provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances. (2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub- section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely :- (a) the admission of student, the courses of study and the fees therefor, the qualifications pertaining to the degrees, diplomas, certificates and other courses the conditions for the grant of fellow-ships, awards and the like; (b) the conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners; and (c) the management of Colleges admitted to the privileges of the University. (3) The first Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the State Government and the Ordinance so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in such manner as may be prescribed.
Regulations	29- The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act the Statutes and the Ordinances for the conduct, of their own business and that of the committees, if any, appointed by them not provided for by this Act, Statutes or the Ordinances, in such manner as may be prescribed.

CHAPTER-VII
Annual Report and
Accounts

- | | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Annual Report | 30- | <p>(1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.</p> <p>(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed.</p> <p>(3) A copy of the annual report, prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the State Government.</p> |
| Account and
every
Directors, | 31- | <p>(1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be Audit prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Local Fund Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.</p> <p>(2) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the State Government alongwith the observations, if any, of the Executive Council before the thirtieth of Septembers every year.</p> |
- [The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999] [Section 32-36]
- (3) Any observations made by the State Government on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State Government.
- | | | |
|-----------|-----|--|
| Surcharge | 32- | <p>(1) An Officer specified in any of the clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of section 9 shall be liable to surcharge for the loss waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.</p> <p>(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.</p> |
|-----------|-----|--|

CHAPTER-VIII
Conditions of Service of
Employees

- | | | |
|--|-----|--|
| Conditions of
service of
such employees
and | 33- | <p>(1) Except as otherwise provided by or under this Act an employee including a teacher of the University may be appointed under a written contract and contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes the Ordinances.</p> <p>(2) The contract referred to in sub-section (1) shall lodged with Finance Officer of the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.</p> |
| Tribunal of
Arbitration
of | 34- | <p>(1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in section 33 between the University and an employee or a teacher shall, at the request either party be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the employee or teacher concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.</p> <p>(2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.</p> |

Provident and Funds as it prescribed. 35- (1)The University shall constitute for the benefit of the employees and pension teachers such provident or pension funds or provide such insurance schemes may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be

(2)Where any provident or pension fund has been so constituted, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such funds, as if it were a Government Provident Fund.

CHAPTER-IX

Miscellaneous

Disputes as to Consti- the tution of the thereon authorities and bodies 36- If any question arises as to whether any person has been duly elected or the appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]

[Section 37-42]

Filling of Casual Vacancies members to a the 37- All the casual vacancies among the members other than *ex-officio* members of any authority or other body of the University shall be filled as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects, or co-opts the whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of term for which the person whose place he fills would have been member.

Proceeding of University vacancies authorities or bodies not invalidated by vacancies 38- No act or proceeding of any authority or any other body of the University shall be, invalidate merely by reason of the existence of any vacancy or among its members.

Protection of action taken in in good faith Ordinances. 39- No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done pursuance of any of the provisions of this Act or the Statutes or the

Staff of the University time. 40- (1) The University shall appoint such number of employees including academic staff as may be sanctioned by the State Government from time to time.

The terms and conditions of service of the employees of the University shall be such as may be prescribed.

(2) The salaries and allowances payable to various categories of employees of the University shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

CHAPTER-X

Miscellaneous and Transitory Provisions

Power to State remove with difficulties removing 41- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by a notified order, make such provisions, not consistent the provisions of this Act at appears to it to be necessary of expedient for the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

Transitional provisions

42- Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes :-

Controller of examination shall be appointed by the State Government and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes:

Provided that the first Vice-Chancellor shall be eligible for appointment in the manner specified in the Statutes for another term;

(b) The first Executive Council shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of two years; and

(c) (i) The first Planning Board shall consist of not more than ten members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold the office for a term of two years;

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999]
43-44]

[Section

(ii) The Planning Board shall in addition to the powers and functions conferred on it by this Act, exercise the powers of the Academic Council, until the Academic Council is constituted under the provisions of this Act and the Statutes, and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.

Statutes, Ordinances and Regulations to be published in the Gazette of the

43-

(1) Every Statutes, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Gazette.

Repeal and is Saving

44-

(1) The Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Ordinance, 1998 hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the ordinance, referred to in sub-section (1) shall be deemed have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

[The U. P. Rajarshi Tandon Open University Act, 1999] [Schedule]

THE SCHEDULE

(See Section 4)

THE OBJECTS OF THE UNIVERSITY

1. The University shall, endeavor through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and, based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of India and its human resources and towards this, end, it shall;
 - (a) Strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural and human resources;
 - (b) Provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, house-wives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
 - (c) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;
 - (d) provide an innovative system of University level education, flexible and open, in regard to methods and pace of learning combination of courses, eligibility for enrolment age of entry, conduct of examination and operation of the programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;
 - (e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and exchange of teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;
 - (f) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;
 - (g) provide or arranged training of teachers required for such activities or institutions;
 - (h) provide suitable Post-graduate courses of study and promote research;
 - (i) provide the counseling and guidance to its students; and
 - (j) promote national integration and the integrated development of the human personality through its policies and programmes.
2. The University shall strive to fulfill the above objects by a diversity of means of distance and continuing education, and shall function in co-operation with the existing Universities and Institutions of higher learning and make full use of the latest scientific knowledge and new educational technology to offer a high quality of education which matches contemporary needs.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1999}

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 कहा विस्तार और जायगा।

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

2— इस अधिनियम में, —

परिभाषाएं

(क) "विद्या परिषद्" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् से है;

(ख) "मान्यता बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड से है;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था से है;

(घ) "दूर शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली से है;

(ङ) "वित्त समिति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(छ) "योजना बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड से है;

(ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(झ) "विद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र से है;

(ञ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है;

(ट) "विद्यार्थी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;

(ठ) "अध्ययन केन्द्र" का तात्पर्य विद्यार्थियों को सलाह देने, परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है;

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

{धारा 3-5}

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी है;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से है।

अध्याय – दो

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3— (1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापन स्थापना की जायेगी।

विश्वविद्यालय का
एवं निगमन

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझें, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।

(3) कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्यपरिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारक, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

4— विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से अतिसंख्या जनसमुदाय में विद्या और ज्ञान के उद्देश्य प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों की संचालित करने में अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

विश्वविद्यालय के

5— विश्वविद्यालय की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-
शक्तियां

विश्वविद्यालय की

(एक) ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान का व्यवस्थापन करना;

(दो) उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;

(तीन) परिणियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियों, उपाधि-पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं या मान्यताएं प्रदान करना;

(चार) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का आयोजन करने की रीति का निर्धारण करना;

(छः) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है; और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिए आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से संबंधित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;

{उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999}

{धारा 5}

(आठ) अध्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य परितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;

(नौ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायं;

(दस) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना या मान्यता देना; (ग्यारह) शिक्षा सामग्री, जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य मृदु सामग्री है, तैयार करने के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) अध्यापकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, कर्मशालायें, विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(तेरह) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य स्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या आगतः विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(चौदह) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान तथा विकास की व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सन्धान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;

(अठ्ठारह) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;

(उन्नीस) अध्यादेशों द्वारा नियत शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;

(बीस) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहितायें भी हैं अधिकथित करना;

(इक्कीस) उच्चतर विद्या या अध्ययन की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(बाईस) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;

(तेईस) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायं, मान्यता देना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करना, जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(पच्चीस) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

{उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999}

{धारा 6-8}

(छब्बीस) विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(सत्ताईस) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायं राज्य में किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना :

परन्तु यह किसी भी महाविद्यालय को ऐसे विशेषाधिकार कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिये जायेंगे;

(अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय की ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषांगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हो।

6— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय को अपनी प्रादेशिक शक्तियों के प्रयोग में अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी।

शक्तियों का प्रयोग

7— (1) विश्वविद्यालय वर्गों और पंथों का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए चाहे स्त्री सभी हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए

विश्वविद्यालय का वर्गों और पंथों के

रूप में नियुक्ति किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

खुला होना

(2) उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय की स्त्रियों, या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय— तीन

निरीक्षण तथा जांच

8— (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे

निरीक्षण विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र, जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी प्रस्तुत नहीं होगा, अभिवचन या कृत्य नहीं करेगा।

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

{धारा 9}

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों की उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती हैं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के विचार और उस पर ली जाने योग्य कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सलाह की संसूचना देगा।

(5) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसे कार्य परिषद् द्वारा कृत या प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति की उपधारा (1) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के अननुपालन या अनुपालन के सम्बन्ध में प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्य परिषद्

अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद् को अधिक्रमित करते हुए कुलपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करें, जिसके अन्तर्गत अधिक्रमित कार्य परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें इस अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर उससे अधिक्रमित कार्य परिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

अध्याय— चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रति-कुलपति;
- (घ) निदेशक;
- (ङ) कुलसचिव;
- (च) वित्त अधिकारी;

विश्वविद्यालय के अधिकारी

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 10—11]

(छ) परीक्षा नियंत्रक, तथा

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10— (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलाधिपति

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्वधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख जिन्हें कुलाधिपति मांगें, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाय।

11— (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिए और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगा।

कुलपति

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह विषय को कुलाधिपति को संदर्भित कर सकता है, जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य-परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्ट या उपात्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या

भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन, ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं।

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 12-18]

12— प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा प्रति-कुलपति की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

13— प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों निदेशक पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं।

14— (1) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी उपलब्धियों और सेवा कुलसचिव की अन्य शर्तों पर दी जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

15— (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों वित्त अधिकारी और सेवा की शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(2) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

16— (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों परीक्षा नियंत्रक और सेवा शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(2) जब, किसी कारण से, परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तब परीक्षा नियंत्रक की सभी शक्तियों और कृत्यों का पालन कुलसचिव द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय, किया जायेगा।

17— विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और अधिकारी कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायं। अन्य

अध्याय — पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

- (क) कार्य परिषद्;
- (ख) विद्या परिषद्;
- (ग) योजना बोर्ड;
- (घ) मान्यता बोर्ड;
- (ङ) अध्ययन केन्द्र;
- (च) वित्त समिति;
- (छ) परीक्षा समिति; और

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जायं।

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 19-26]

19— (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

कार्य परिषद्

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायं।

20— (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम,

विद्या परिषद्

परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी को विहित किये जायं।

(2) विद्या परिषद् का गठन उनके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसी विहित की जायं।

21— (1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर, विश्वविद्यालय के विकास को मानीटर करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

योजना बोर्ड

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायं।

22— (1) मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा।

मान्यता बोर्ड

(2) मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायं।

23— (1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे, जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

अध्ययन केन्द्र

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

24— वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायं।

वित्त समिति

25— अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायं।

अन्य प्राधिकारी

अध्याय—छः

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

26— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, और विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबंध किये जायेंगे :—

परिनियम

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां, और कृत्य, जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(ख) प्रति-कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 27]

(ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां और शक्तियां तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;

(घ) अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जायेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया;

(झ) महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को अनुदानों का आवंटन और संवितरण;

(ञ) वे शर्तें जो, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए पूरी की जाने के लिए अपेक्षित हैं;

(ट) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायें।

27— (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय-समय पर बना सकेंगे, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेंगी :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकारी का प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्ति किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्द्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधायित कर सकेगा या उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमन्य नहीं होगा, जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई है।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 28—31]

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगी, परिनियम में उपबन्ध करने हेतु निर्देशित और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश के कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, कुलाधिपति की अनुमति से, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगी या उनका यथोचित रूप से संशोधन कर सकेगी।

28— (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी अध्यादेश ऐसे विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध किये जायेंगे, अर्थात् :-

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीसों, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित अर्हतायें, अध्ययता वृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन, शर्तें और उनकी नियुक्ति भी है; और

(ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों का प्रबन्धन।

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किये जा सकेंगे।

29— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि विनियम कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध

नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

अध्याय—सात

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

30— (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, जो विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

31— (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधधीन लेखा और लेखा परीक्षा तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 32-36]

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य-परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य-परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

32— (1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी अधिभार विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार

होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जायेगी।

अध्याय— आठ

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33— (1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कर्मचारियों की सेवा की कर्मचारी, जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी है, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा तथा ऐसी शर्तें संविदा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

34— (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा 33 में निर्दिष्ट नियोजन अधिकरण की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्देश आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन ऐक्ट, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायगा।

35— (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों और अध्यापकों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और भविष्य एवं पेंशन निधियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी विहित की जायें, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।

(2) जहां किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय—नौ

प्रकीर्ण

36— यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकारियों निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने और निकायों के गठन के

का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम बारे में विवाद होगा।

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 37-42]

37— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों का सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र, सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस भरा जाना सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

38— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण अविधिमन्य नहीं होगी। प्राधिकारियों

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय या निकायों

की कार्यवाही
अविधिमाम्य न होना

का

39— कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की संरक्षण

सद्भावपूर्वक की गई
कार्यवाही के लिए

जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

40— (1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द भी विश्वविद्यालय के हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय, नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द

कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जाय।

अध्याय—दस

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबन्ध

41— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो करने राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

42— इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—
उपबन्ध

संक्रमणकालीन

(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव और प्रथम परीक्षा नियंत्रक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और वे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों से शासित होंगे:

परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(ख) प्रथम कार्य परिषद् में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; और

(ग) (एक) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[धारा 43—44]

(दो) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे।

43— (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम और गजट में प्रकाशित किया जायगा।

परिनियमों, अध्यादेशों

विनियमों का गजट में
प्रकाशित किया जाना

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम अध्यादेश या विनियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

44— (1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998 एतद्वारा निरसित अपवाद किया जाता है।

निरसन और

अध्यादेश (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
संख्या सन् 19

[उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999]

[अनुसूची]

अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- 1— विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, भारत की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय साधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारण, के माध्यम से प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह :-
 - (क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विधि प्रकार का बनाएगा;
 - (ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधा रहित समूहों को जैसे वे समूह जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और अन्य ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने और अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिए उपबन्ध करेगा;
 - (ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञाप के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, खोज के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
 - (घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में लचीली और मुक्त विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को नव-पद्धति के लिए, उपबन्ध करेगा;
 - (ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक प्रणाली का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किये गये पाठों और अन्य मृदु-सामग्री का विस्तृत रूप से उपयोग करके गण्यता के अन्तरण को और अध्यापन कर्मचारिवृन्द विनियम को प्रोत्साहित करके भारत शैक्षणिक पद्धति के सुधार के लिए योगदान देगा;
 - (च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी क्वालिटी में सुधार करके और जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करेगा;
 - (छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;
 - (ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 - (झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा; और
 - (ञ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।
- 2— विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का और नई शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की, ऐसी उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हों, पूर्ण उपयोग करेगा।